राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 8198/2021

योगेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश कछवाहा, आयु -लगभग 35 वर्ष, जाति - माली (कछवाहा),निवासी - मुथों का बास, सोजत सिटी, जिला पाली (राजस्थान)-----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य, जयपुर के माध्यम से।

2. मिशन निदेशक, एन. एच. एम. कम विशेष सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जयपुर, राजस्थान,।

4. मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

5. सचिव, कार्मिक विभाग (के. ए.-2), राजस्थान सरकार, जयपुर---उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिएः- श्री आर. के. सोनी और श्री सी. पी. सोनी
उत्तरदाताओं के लिएः- श्री गौरव रांका।

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

15/01/2024

1. अन्य बातों के साथ-साथ, याचिकाकर्ता की शिकायत आई. पी. सी. की धारा 498-ए और 406 के तहत अपराध के लिए उसकी पत्नी द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के कारण प्रतिवादी द्वारा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जी. एन. एम.) के पद पर नियुक्ति/शामिल होने से इनकार करने से उत्पन्न होती है।

2. पहले संक्षिप्त प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख किया जाये। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के कारण और जी. एन. एम. के रूप में नियुक्ति की मांग करते हुए, आवेदन किया और उसे पद के लिए योग्यता में रखा गया। हालाँकि, उनके और उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक कलह के परिणामस्वरूप आई. पी. सी. की धारा 498-ए और 406 से संबंधित आपराधिक कार्यवाही का खुलासा करने पर, नियुक्ति से इनकार कर दिया गया। हालाँकि, बाद में बरी होने के बावजूद उन्हें चयन प्रक्रिया में उनके प्रदर्शन का लाभ नहीं दिया गया है।

2.1 आपराधिक आरोपों से बरी होने पर, याचिकाकर्ता ने नए पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 7) के साथ सक्षम अदालत द्वारा पारित अपने बरी करने के आदेश के साथ प्रतिवादियों को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उक्त अभ्यावेदन पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए तत्काल रिट याचिका लगाई गई है।

3. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

4. यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 26.07.2021 के आदेश के अनुसार मामले को रोक लगा दी गई थी, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता का चयन/नियुक्ति रद्द नहीं की जाएगी।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि आक्षेपित आदेश अनुलग्नक-पी/3 और पी/4, जो याचिकाकर्ता को प्रतिकूल रूप

से प्रभावित करते हैं, परिस्थितियों पर उचित विचार किए बिना, विवेक के उचित अनुप्रयोग के बिना, और याचिकाकर्ता को पूर्व सूचना या अवसर के बिना जारी किए गए थे। इसके कारण याचिकाकर्ता को मामले की विशिष्टताओं पर विचार किए बिना, केवल एक लंबित आपराधिक मामले के कारण नियुक्ति से इनकार करके "नागरिक मृत्यु" के साथ प्रभावी रूप से दंडित किया गया। यह व्यवहार याचिकाकर्ता को असमान मानते हुए पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। वास्तव में, यह पूर्व के लिए निर्दोषता की कानूनी धारणा के बावजूद, दोषियों के साथ "विचाराधीन" व्यक्तियों की बराबरी करता है। इसके अतिरिक्त, आई. पी. सी. की धारा 498-ए को नियुक्ति अयोग्यता के आधार के रूप में शामिल करना मनमाना माना जाता है, विशेष रूप से झूठे आरोपों के मामलों में जिससे बरी किया जाता है, जैसा कि याचिकाकर्ता की स्थिति में होता है।

6. आगे बढ़ने से पहले, मुझे यह व्यक्त करना होगा कि मैं पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित तर्कों से सहमत हूं।

7. अदालत के एक प्रश्न पर, यह स्पष्ट होता है कि हालांकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द नहीं किया गया है, साथ ही उनकी पत्नी द्वारा आई. पी. सी. की धारा 498-ए और 406 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के कारण उन्हें कोई नियुक्ति नहीं दी गई है। इसके अलावा, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को न केवल आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था, बल्कि उसने अपनी पूर्व पत्नी से सौहार्दपूर्ण तलाक भी ले लिया था।

8. याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में आने के लिए केवल इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसे तत्कालीन लंबित कानूनी कार्यवाही के कारण पदस्थापना से वंचित कर दिया गया था, जो कारण अब अस्तित्व में नहीं है।

9. मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कोई

वैध कारण नहीं है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की नियुक्ति के साथ आगे बढ़ने का निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, यह देखते हुए कि न तो उसका चयन और न ही विचाराधीन पद के लिए उसकी उपयुक्तता विवादित है।

10. इस आधार पर, रिट याचिका का निपटारा प्रत्यर्थियों को एक नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश के साथ किया जाता है और याचिकाकर्ता को तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ उनसे संपर्क करने के तीस दिनों के भीतर पोस्टिंग का स्थान प्रदान किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' के सिद्धांत के तहत किसी भी पूर्वव्यापी सेवा लाभ का हकदार नहीं होगा, लेकिन उसे उसी पद पर अपने समकक्षों की नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक लाभ प्राप्त होंगे, जिनके साथ याचिकाकर्ता ने प्रतिस्पर्धा की थी।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।